104

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प.9(34)गृह–5/2008 जयपुर, दिनांक : 20–04–2012

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

पुलिस आयुक्त,
जयपुर, जोधपुर

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस,
राजस्थान।

विषय – सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 34)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 34) में उल्लेखित प्रावधानों के उल्लंघन सम्बन्धी मामलों को अपराध समीक्षा रिपोर्ट में थानाधिकारी स्तर पर तथा जिला पुलिस अधीक्षक स्तर पर सम्मिलित करते हुये चालानों/कार्यवाहियों की मासिक सूचना भिजवाये जाने का श्रम करें।

साथ ही, उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों व उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्यवाही का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना तथा सभी सावर्जनिक स्थलों पर सूचना पट्ट लगवाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

उप शासन सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग

राजस्थान पुलिस

।। कार्यालय पुलिस आयुक्त जयपुर।।

क्रमांक :- 7617-22 दिनांक :- 13/4/12

पुलिस उपायुक्त,
जयपुर उत्तर/दक्षिण/पूर्ण/पश्चिम।

विषयः- सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की प्रभावी क्रियान्विति हेतु।

प्रसंगः- श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 126 दिनांक 28.03.2012 एवं इस कार्यालय के पत्र सं. 229 दिनांक 10.02.2012 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति व इसके संलग्न प्राप्त सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2002 व मासिक रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न प्रेषित कर लेख है कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध, धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिषेध, धारा 6ए के तहत अवयस्कों को तम्बाकू उत्पाद की ब्रिकी पर प्रतिषेध, धारा 6बी के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के निकट तम्बाकू उत्पाद ब्रिकी पर प्रतिषेध एवं धारा 7 के तहत तम्बाकू उत्पाद के पैकेट के प्रमुख भाग पर स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करने के प्रावधानों के संबंध में आपको अपने क्षेत्राधिकार में प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रांक 229 दिनांक 10.02.2012 द्वारा निर्देशित किया गया था। उपर्युक्त संबंध में श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भी उक्त प्रासंगिक अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है।

अतः आप प्रासंगिक पत्रानुसार अधीनस्थ थानाधिकारीगण/सहायक पुलिस आयुक्तगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में उपबन्धित उक्त प्रावधानों के तहत प्रभावी कानूनी कार्यवाही कर क्रियान्विति सुनिश्चित करें तथा मासिक रिपोर्ट संलग्न निर्धारित प्रारूप में हर माह की 05 तारीख तक स्टेट नोडल ऑफिसर, तम्बाकू नियंत्रण, निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर को सीधे भिजवाकर इस कार्यालय को भी रिपोर्ट भेजें तथा इस संबंध में मासिक अपराध गोष्ठी में भी थानेवार समीक्षा की जाकर की गई कार्यवाही एवं प्रगति/पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(बी0एल0 सोनी)
पुलिस आयुक्त,
जयपुर।

प्रतिलिपि :- 1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार को उनके प्रासंगिक अर्द्धशासकीय पत्र के अनुक्रम में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

2. स्टेट नोडल ऑफिसर, तम्बाकू नियंत्रण, निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर (स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

13/4/12

पुलिस आयुक्त,